समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील / 3983 / I / 2014

अपीलार्थीगण — 1— बाबूलाल पिता बंदे साहू
2— हल्के पिता पांडे साहू
3— जीरा पिता पांडे साहू
4— मुन्ना पिता पांडे साहू
5— राजू उर्फ राजाराम पिता मदारी
6— दशरक पिता भदारी साहू
7— वीरन पिता डव्वली साहू
8— शंकरलाल पिता डव्वली साहू
9— नरवद पिता डव्वली साहू
सभी निवासी अहमदपुर तहसील शहपुरा
जिला—जबलपुर

श्री एम. एम. मुगदल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता शीट
28 OCT 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

वि रू द्ध

प्रत्यर्थीगण — 1— भगवत पिता कढ़ोरी पटेल
2— चेतराम पिता भगवत पटेल
3— मुन्ना पिता चेतसिंह पटेल
सभी निवासी अहमदपुर तेहसील शहपुरा
जिला जबलपुर
4— मध्य प्रदेश शासन द्वारा तेहसीलदार
शहपुरा जिला जबलपुर

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू—राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्रं. 711 अ—6—अ / 11—12 में पारित आदेश दिनांक 19—09—2014 से परिवेदित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित तथ्य एवं आधारो पर प्रस्तुत करते हैं :—

—2—

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 3983-एक/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-3-18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 711/अ-6-अ/11-12 में पारित आदेश दिनांक 19-9-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है । 3/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा विचारण न्यायालय में अनावेदकों के विरूद्ध संहिता की धारा 89 के तहत इस आशय का आवेदन दिया गया कि उनकी मौजा अहमदपुर प0ह0नं0 56 तह0 शहपुरा जिला जबलपुर में खसरा नं0 25/1 रकबा 2.90 हैक्टर जमीन है जिसके वे भूमिस्वामी हैं । अभिलेख में यह जमीन पांडे, बंदे पिता नथ्थू तेली के नाम पर दर्ज है पांडे तथा बंदे फौत हो गये हैं उनके वारिस निम्नानुसार हैं - पांडे के 3 लड़के हैं जिनके नाम क्रमश: हल्के, जीरा एवं मुन्ना हैं बंदे का एक लड़का बाबूलाल है । आवेदन में अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि खसरा नं0 130 एवं 125 के नक्शे में परिवर्तन हो गया है तथा नक्शे में परिवर्तन होने के कारण अपीलार्थीगण की जमीन प्रत्यर्थीगण की जमीन खसरा नं0 130 में मिल गई है जो नक्शे को देखने से स्पष्ट है । आवेदन में पुराना नक्शा एवं नये नक्शे का उल्लेख करते हुए कहा गया कि बंदोवस्त के पहले और बाद के नक्शे में परिवर्तन हुआ है तथा खसरा नं0 125/1 की जमीन खसरा नं0 130 में शामिल कर ली गई है । आवेदन में प्रार्थना की गई कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए नक्शा दुरस्त किया जाये । कलेक्टर ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जांच प्रतिवेदन चाहा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

गया । तहसीलदार, शहपुरा द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से प्रतिवेदन मांगा । राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने स्थल निरीक्षण करने तथा रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद प्रतिवेदन तहसीलदार को भेजा जिसमें राजस्व निरीक्षक ने स्पष्ट उल्लेख किया कि खसरा नं0 125/1 का रकबा 0.06 हैक्टर नक्शे के अनुसार खसरा नं0 130 में शामिल कर बंदोवस्त में बनाया गया है तथा खसरा नं0 125/1 अपीलार्थीगण की जमीन है । प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी की जमीन का रकबा 0.06 हैक्टर गैर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 130 के नक्शे में सम्मिलित कर लिया गया है । कलेक्टर ने अपीलार्थीगण का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि यदि नक्शे में संशोधन किया जाता है तो सीमांकन में खसरा नं0 125/1 एवं 130 की सीमांए परिवर्तित हो जायेंगी और उनके रकबे में परिवर्तन हो जायेगा जो कि वर्तमान राजस्व अभिलेख के खसरे में दर्ज रकबे से कम होगा । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अपर आयुक्त, जबलपुर के समक्ष अपील की जो उन्होंने आलोच्य आदेश दिनांक 19-9-14 द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि बंदोवस्त के दौरान खसरा नं0 130 के रकबे एवं नक्शे में त्रुटि हुई है जो राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिर्पोट एवं जांच प्रतिवेदन से प्रमाणित है अत: खसरा नं0 130/1 के रकबे में सुधार कर नक्शा संशोधित रकबे के अनुसार दुरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश पारित करना चाहिए था जो न करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है ।

यह तर्क भी दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि सीमांकन के समय अपीलार्थीगण के बने पुश्तैनी मकान प्रत्यर्थीगण के रकबे में कैसे आ गये इसका स्पष्ट तात्पर्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 3983-एक/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है कि खसरा नं0 125 एवं 130 दोनों की सीमायें गलत बनाली हैं जिनमें सुधार किया जाना नितांत आवश्यक था । यह तर्क भी दिया गया कि नक्शे में बटा नंबरान कायम नहीं हैं । प्रत्यर्थीगण का आबादी में गया रकबा 0.01 हैक्टर तथा सड़क में गया रकबा 0.07 हैक्टर भी नक्शे में अंकित नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार को पक्षकारान के रकबे का सत्यापन कर अभिलेख दुरस्त करने का निर्देश देना चाहिए था जो न कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है । 4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित एवं न्यायिक हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नक्शा सुधार की कार्यवाही चाही गई थी जबकि प्रकरण नक्शा सुधार का न होकर त्रुटि सुधार का है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश् वर्ग-1 पाटन जिला जबलपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 58/ए/12 प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 18-10-16 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखते हुए अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । 4/ जबाव में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई है इस	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	संबंध में उनके द्वारा अपील मेमो की प्रति मय आदेश पत्रिका के पेश की । यह भी कहा गया कि गलत धारा का उल्लेख कर दिये जाने के आधार पर पक्षकार को न्याय से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें खसरा नं0 130/1 रकबा 0.28 हैक्टर का सीमांकन वर्तमान नक्शे के आधार पर करने में खसरा नं0 130/1 की सीमाओं में अपीलार्थीगण् के पुश्तैनी मकान बने होने का उल्लेख है । इस बिंदु पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । अभिलेख में संलग्न राजस्व निरीक्षक की अभिलेख संबंधी जांच रिर्पोट में यह पाया गया है कि नवीन खसरा नं0 130 (पुराना 218) का रकबा रिकार्ड में 0.28 हैक्टर दर्ज है और उसी अनुसार नक्शा बना है । चकबंदी नक्शा खसरा नं0 218 का रकबा 0.07 हैक्टर नक्शे के अनुसार सड़क में शामिल है तथा खसरा नं0 125 का 0.06 हैक्टर रकबा नक्शे के अनुसार खसरा नं0 130 में शामिल कर बंदोवस्त में बनाया गया है तथा 0.01 हैक्टर रकबा वतर्मान अभिलेख अनुसार खसरा नं0 129 में आबादी में शामिल किया जाना है । अत: खसरा नं0 130 का वर्तमान रकबा 0.20 हैक्टर होना चाहिए और इसी रकबे के अनुसार नक्शा भी दुरस्त होना चाहिए । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि बंदोवस्त की इस त्रुटि को विचारण न्यायालय कलेक्टर द्वारा पूर्णत: अनदेखा किया गया है जबकि उन्हें राजस्व निरीक्षक की रिर्पोट के अनुसार बंदोवस्त में की गई त्रुटि को सुधार करने के निर्देश तहसीलदार को देना चाहिए था जो न देने में त्रुटि की गई है । अत: इस प्रकरण में तहसीलदार राजस्व निरीक्षक की जांच रिर्पोट के अनुसार अभिलेख दुरस्त करें । जहां तक व्यवहार वाद क्रमांक 58-ए/12 में पारित आदेश दिनांक 18-10-16 का प्रश्न है, उक्त आदेश का अवलोकन किया गया । व्यवहार वाद के तथ्य एवं वाद प्रश्न वर्तमान	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 3983-एक/14 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपील प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है अत: प्रस्तुत अपील में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क भी उचित है कि गलत धारा का उल्लेख करने से पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2012 आर0एन0 14 नकछेदी प्रसाद विरूद्ध दीनदयाल तथा अन्य अवलोकनीय है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " आवेदन में गलत धारा का उल्लेख - पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।" राजस्व अभिलेख सही रखना राजस्व अधिकारी का दायित्व है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-9-14 एवं कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-3-12 निरस्त किये जाते हैं तथा यह अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार, शाहपुरा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि ऊपर की गई विवेचना के आधार पर प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट के अनुसार खसरा नं0 130/1 एवं खसरा नं0 125/1 का रकबा सुधार करते हुए नक्शा दुरस्त किया जाये । (एम0 गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	